न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–312/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/446)

1. सुभाष पुत्र श्री मूलचन्द जाति खटीक, निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
2. लालसिंह पुत्र श्री सुलतान, जाति अहीर, निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
3. रघुवीर पुत्र श्री दुलीचन्द, जाति खटीक निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।
4. शेरसिंह पुत्र श्री प्रभाती जाति गुर्जर निवासी मोरोडी तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. रणधीर पुत्र श्री मांगेलाल, जाति गुर्जर, निवी जैलाफ तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2. तहसीलदार, बानसूर तहसील बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री ऋतुराज सोनी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री कृष्ण कुमार एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 29.01.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उप जिलाधीश बानसूर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी अन्य सहकाश्तकारान के साथ आराजी खसरा नम्बर 822, 882, 883, 884 वाके ग्राम मौरोडी तहसील बानसूर का खातेदार अभिधारी है जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्य सह काश्तकारान के साथ आराजी खसरा नम्बर 821 रकबा 6.99 हैक्टयर के 1/3 भाग का खातेदार अभिधारी है। यह आराजी अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 822, 882, 881 के बतरफ पूर्व उत्तर से लगती हुई है, मौके पर दोनों कृषि भूमियों के मध्य अर्सा दर्राज से पुख्ता डौल बनी हुई है तथा आज दिन तक अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद भी नही हुआ है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बिना किसी विवाद के अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 01.06.2023 को पत्थरगढ़ी के आदेश लेकर अपीलान्ट को या अन्य किसी पड़ौसी खसरो के काश्तकारान को बिना पक्षकार बनाये व बिना सूचना दिलवाये अपीलाधीन आदेश प्राप्त कर अपीलान्ट की कृषि भूमि में नाजायज रूप से कब्जा करने पर उतारू है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 से अपीलान्ट व्यथित व्यक्ति है तथा अपीलान्ट को अंदेशा है कि अपीलाधीन आदेश से रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट की

P.T.O.

कृषि भूमि को हथियाना चाहता है जिस कारण अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. अलग से अपील के साथ पेश किया गया तथा प्रकरण में अपीलान्ट के हित प्रभावित होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में व्यवस्था है कि:–सीमाओं के सम्बन्ध में विवादों का निपटारा (1) किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर जहॉ तक संभव हो, वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और संभव नही हो अथवा ऐसे नक्शें उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। धारा 128 सीमा विवादः– सीमा सम्बन्धी समस्त विवाद भू अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रिति से तय किये जायेगे परन्तु खेतों की सीमा सम्बन्धी आवेदन पत्र जहॉ यदपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विधमान्य नही हो, किन्तु ही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसे विवाद उठाने की संभावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किये जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटारा किया जावेंगा।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.09.2023 को ऐलानियॉ धमकी देने पर हुई जिस पर दिनांक 29.09.2023 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में जाकर पता किया व नकल सर्म्पूण पत्रावली तथा अधिवक्ता से राय मशवीरा किया तत्पश्चात् जानकारी की दिनांक से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की गई है एवं विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ अलग से पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना तथा बिना तलबी के, बिना किसी पक्ष प्रस्तुती के अपीलान्ट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 822, 882, 883, 884 व चारागाह भूमि खसरा नम्बर 881 में राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर सीमाकंन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने की जूस्तजू में है, यदि अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 822, 882, 883, 884, 881 में पत्थरगढ़ी कर दी जावेगी तो अपीलान्ट को अनहद क्षति होगी तथा वाद बाहुलय बढेंगे। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 को अपास्त किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर पत्रावली संख्या 30/2023 उनवान रणवीर बनाम तहसीलदार बानसूर में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 को अपास्त फरमाया जावें तथा आदेशित किया जावें कि हम अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई आदेश पारित करें। बसूरत दीगर हमारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 822 882, 883, 884 व चारागाह भूमि खसरा नम्बर 881 का भी सीमांकन करवाया जावें ताकि मौके पर कोई विवाद ना हो तथा शान्तिपूर्वक रूप से अपनी–अपनी कृषि भूमियों पर काश्त कर सकें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हाल खसरा नम्बर 821 रकबा 6.9900 हैक्टयर वाके ग्राम मौजा मोरोड़ी

P.T.O.

तहसील बानसूर का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसका विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार बानसूर के आदेशानुसार दिनांक 12.05.2023 को पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर किया गया था तथा प्रत्येक खातेदारान को अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकार प्रदत्त है उन्ही अधिकारों के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का परीक्षणकरने के उपरान्त ही अपीलाधिन आदेश दिनांक 01. 06.2023 पारित कया गया है जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मिय़ाद अधिनियम व शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को पक्षकार बनाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.05.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तहसीलदार को कोई तलबी नोटिस जारी नही किये गये है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की रिपोर्ट भी तलब नही की गई है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी के सीमाजोड पर राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 881 स्थित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तहसीलदार से बिना रिपोर्ट मंगवाये एवं प्रकरण का बिना परीक्षण किये ही न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही जल्दीबाजी में आदेशिका में ही सिर्फ छः पंक्ति में नॉन स्पीकिन्ग अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 पारित किया गया है जो न्यायिक दृष्टि से विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर चारागाह भूमि के सीमांकन पश्चात् ही प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(असलम शेर खान)
अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/1/24
अति.संभागीय आयुक्त,